भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3761

24.03.2025 को उत्तर के लिए

नंदयाल में वन एवं वन्यजीव संरक्षण

3761. डॉ. बायरेड्डी शबरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में वर्तमान वन आच्छादिन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और साथ ही वनों की कटाई से निपटने के लिए वनरोपण/पुनर्वनीकरण की क्या पहल की गईं हैं;

(ख) सरकार द्वारा नल्लामाला वन आच्छादित क्षेत्र तथा नागार्जुनसागर-श्रीशैलम बाध अभयारण्य में अवैध अतिक्रमण, वनों की कटाई तथा अवैध शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए आवंटित की गई कुल निधि कितनी है तथा नल्लामाला वनों में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कोई नई परियोजनाएं या पहल किए जाने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, प्रत्येक दो वर्ष में देश के वन एवं वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं, वन आवरण आकलन पूरे क्षेत्रफल के मानचित्रण की प्रक्रिया है, जो गहन भू-सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों द्वारा समर्थित रिमोट सेंसिंग पर आधारित अभ्यास है।

आईएसएफआर-2023 के अनुसार, आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में वन आवरण 2,098.76 वर्ग किलोमीटर है जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.60% है। नंदयाल जिले में पाया गया वन आवरण परिवर्तन केवल पिछले दो वर्षों अर्थात आईएसएफआर-2021 और आईएसएफआर-2023 तक की अवधि के लिए है, वन आवरण में 6.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राकृतिक उत्थान और वन आवरण में सुधार के लिए जल संरक्षण उपाय, वन और वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावास सुधार, चारागाहों का विकास और आग से सुरक्षा जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(ख) वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। देश के वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम एवं नियम आदि शामिल हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए, इन अधिनियमों/नियमों के तहत कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा और वनों की कटाई को रोकने के लिए परामर्शीका जारी करता है। इसके अलावा, वनों की सुरक्षा के लिए राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नल्लामाला वन क्षेत्र और नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण, वनों की कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए राज्य द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:-

(i) शिकार, अतिक्रमण और तस्करी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों द्वारा गश्त करना,

(ii) बेस कैंप, स्ट्राइकिंग फोर्स, एनिमल ट्रैकर्स और फायर वॉचर्स, जिसमें शिकार, अतिक्रमण और तस्करी की गतिविधियों से निपटने के लिए स्थानीय आदिवासी शामिल है द्वारा चौबीसों घंटे प्रयास करना,

(iii) सभी महत्वपूर्ण कार्यसामरिक स्थलों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं।

(iv) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गश्त करने वाले कर्मचारियों की निगरानी की जाती है,

(v) गांवों में विशेष रूप से सीमांत गांवों में लोगों के बीच वनों और वन्यजीवों के महत्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना,

(vi) शिकार के खिलाफ सुरक्षा और सूचना एकत्र करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड पार्टियों, शिकार रोधी स्टाफ की तैनाती,

(vii) स्थानीय जनजातियों की वनों पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक और संधारणीय आजीविका के रूप में पारि-पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि 36.35 करोड़ रुपये है। वन और वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए की गई पहल और योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

(i) वनों, वन्यजीवों की सुरक्षा और अग्नि नियंत्रण कार्यकलापों में चेंचूकों को शामिल करना।

(ii) नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (एनएसटीआर) में प्लास्टिक मुक्त पहल: एनएसटीआर दिनांक 1 जनवरी, 2024 से प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और स्वच्छ एवं सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संबंधित विभागों और मंदिर अधिकारियों के समन्वय से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(iii) परिक्षेत्र तथा सीमांत गांवों में प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण, जागरूकता कार्यक्रम और अनुपालन की निगरानी में स्वच्छ सेवकों (स्थानीय स्वयंसेवकों) को शामिल करना।

(iv) वाहन जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग करके फील्ड स्टाफ की आवाजाही की निगरानी: फील्ड वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाकर अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वन रेंज अधिकारियों, स्ट्राइक फोर्स आदि सहित फील्ड स्टाफ की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना हाल ही में शुरू की गई है।

*****